प्रेस विज्ञप्ति

09.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, स्नेहपुष्प मार्केटिंग (पी) लिमिटेड, अन्य संबद्ध कंपनियों/संस्थाओं, उनके निदेशकों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिसरों में भुवनेश्वर, बारबिल, राउरकेला और कोलकाता में 12 स्थानों पर जिला-क्योंझर, ओडिशा में अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने एवं उजागर करने के लिए तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मेसर्स दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स. स्नेहपुष्प मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड, दीपक गुप्ता, हरि चरण गुप्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की। ।

ईडी की जांच से पता चला कि अवैध खनन के कारोबार से उत्पन्न अपराध की आय कोलकाता और बारबिल में स्थित कई फर्जी कंपनियाँ, जिनमें डमी निदेशक थे, के माध्यम से स्तरित की गई थी।

तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की 2 किलोग्राम सोने की बुलियन, 2020 पंजीकरण वर्ष की एक वोल्वो XC40 कार के साथ-साथ संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। आरोपी कंपनियों के निदेशकों से संबंधित छह बैंक खातों में 1.23 करोड़ रुपये की शेष राशि को फ्रीज करते हुए दो बैंकों को एक फ्रीजिंग आदेश भी जारी किया गया था।

इस मामले में पहले 379 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का पीएओ जारी किया गया था। पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी और विशेष अदालत (पीएमएलए) ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।

.

.